संख्याःफिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)16 / 70–खण्ड–42–6322–6324,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ।

प्रेशकः

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

प्रेशितः

प्रधान सचिव(शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–171002.

दिनाँक, शिमला–171009 ...18.10.17

विशयः *हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2015–2016 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन बारे।*

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का वर्ष 2015–2016 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को इस अंकेक्षण प्रतितवेदन पर आगामी कार्रवाई करके पैरावार उत्तर प्रभारी, निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी करने की कृपा करें।

भवदीय

हस्ता / –
अतिरिक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृश्ठाँकन संख्या :यथोपरि, दिनाँक,18.10.17 शिमला–171009,

प्रतिलिपि :–

पंजीकृत :'–1. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित सटिप्पण उत्तर उप नियन्त्रक(लेखा परीक्षा), निवासी अंकेक्षण योजना, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को शीघ्र प्रेषित करें।

2. प्रभारी, निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगडा, हि0प्र0 को अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

हस्ता / –
अतिरिक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

हिमाचल प्रदेश सरकार
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
ब्लाक नं0 38,एस.डी.ए.कम्पलैक्स,
कसुम्पटी, शिमला–171009

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला,
जिला कांगडा, हि0प्र0

<u>अवधि 1.04.2015 से 31.03.2016</u>

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन हि0 प्र0 सरकार को प्रस्तुतीकरण हेतु बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा–15(4) अनुसार तैयार किया गया है ।
2. हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंकेक्षित लेखे व तुलन पत्र बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को विधान सभा पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित किए जाने आपेक्षित हैं ।
3. प्रतिवेदन के परिशिष्ट–ए में अवधि 9/1969 से 31.3.2015 तक अनिर्णीत चले आ रहे पैरों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।
4. प्रतिवेदन के भाग–II में बोर्ड की वित्तीय स्थिति, बोर्ड की प्राप्तियों के मुख्य स्त्रोत व विचाराधीन वर्ष 2015–16 की पूर्व व पोस्ट आडिट आपत्तियों का सविस्तार विवरण दिया गया है ।
5. इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट–बी में शिक्षा बोर्ड के वार्षिक लेखा पर की गई ऑडिट टिप्पणियों का विवरण दिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 1.4.15 से 31.3.16

विषय सूची

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्याः
1.	प्रस्तावना	1
2.	प्राक्कथन	3
3.	कार्य पालक सार	3
4.	जांच परिणामों का संक्षिप्त विवरण ओवर व्यू	4—5
5.	बोर्ड की आय व व्यय के वित्तीय विष्लेशण ।	5—7
6.	गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित असमायोजित पैरों बारे ।	7
7.	अंकेक्षण शुल्क	8
8.	बोर्ड की वित्तीय स्थिति	8
9.	बोर्ड की आय व व्यय के मुख्य साधन बारे ।	9
10.	निवेशों का विवरण	10
11.	वर्ष 2015—16 की अंकेक्षण आपत्तियों का सविस्तार विवरण ।	10—44

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016

भाग–एक

(1) प्राक्कथनः– हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के विनियम 1968 की धारा 15, के अनुसार बोर्ड के लेखाओं का अंकेक्षण उस संस्था द्वारा किया जाएगा जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा तदानुसार हि0 प्र0 के शिक्षा विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्याः 21–3/70– दिनांक 18.03.1971 द्वारा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंकेक्षण करने के लिए हि0 प्र0 वित्त विभाग के स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को वतौर निवासी अंकेक्षण योजना के आधार पर प्राधिकृत किया गया था ।

(1.2) कार्यपालक सारः– उपरोक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने इस संस्था में बतौर कार्यपालक कार्य किया हैः–

क0 सं0	पदनाम	नाम	अवधि
1.	अध्यक्ष	श्री बलवीर तेगता (सेवा निवृत आई0ए0एस0)	01.04.15 से 31.3.16
2.	सचिव	(i) श्री बलवीर ठाकुर (एचएएस) (ii) श्री विनय धीमान (एचएएस) (iii) श्री श्रवण मांटा (एचएएस)	01.04.15 से 5.5.2015 5.5.15 से 30.3.2016 30.3.16 से 31.3.2016
3.	उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)	(i) श्री प्रवीण चौधरी (एसएएस) (ii) श्री सुरेन्द्र भारद्वाज (एसएएस)	01.04.15 से 14.5.15 14.5.15 से 31.3.2016

(1.3) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा के लेखों अवधि 2015—2016 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताअें का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	विवरण	पैरा सं0	रू0 लाखों में
1.	रोकड़ बही शेषों व बैंक शेषों में अन्तर	4(i)	37.56
2.	सामान्य भविष्य निधि की देनदारी उपलब्ध राशि से अधिक होने बारे	5(i)	217.74
3.	शिक्षा विभाग से प्राप्त राशि का समायोजन न करना	12	1530.31
4.	छात्रों से परीक्षा शुल्क की बसूली शेष	13	7.65
5.	प्राप्त राशियों का बैंक में कम जमा करना	14	1.16
6.	बोर्ड कालौनी में आवासों के खाली रहने से बोर्ड निधि को हुए नुकसान बारे	17	1.70
7.	परिपक्वता तिथि से पहले निवेशों को भुनाने से कम प्राप्त ब्याज राशि	20	5.27
8.	अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	23	3127.77
9.	मार्च, 2015 की परीक्षा के संचालन में वास्तविक व्यय से अधिक अग्रिम राशियों का वितरण करना ।	24	88.52
10.	अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।	26	2.60
11.	बोर्ड परिसर की सड़क मुरम्मत पर किए गए व्यय का उचित प्रभार न होना ।	27	16.00
12.	कवर पेपर जिन दरों पर खरीदा गया वे पारदर्शी प्रतियोगी व स्पष्ट नहीं थी ।	28	94.63
13.	अनावश्यक व्यय के उत्तरदायित्व निर्धारण बारे	30	33.06
14.	पुस्तकों का डिपो में कम पाया जाना	31(1)	1.63
15.	प्रत्यक्ष सत्यापन में कम पाई गई पुस्तकें	31(2)	0.54
16.	पूर्व अंकेक्षण के दौरान की गई कटौतियों बारे ।	32	8.94

(1.4) वित्तीय विश्लेषणः— बोर्ड की वर्ष 2015—16 की आय व व्यय पर तुलनात्मक वित्तीय विशलेषण निम्नलिखित है ।

(1.4.1) प्राप्तियांः—

(i) वर्ष 2014—15 में बोर्ड की कुल प्राप्तियां ₹610953413/—थी जबकि वर्ष 2015—16 में कुल प्राप्तियां रू0 810499769/— पाई गई इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की प्राप्तियों में रू0 199546356/—की बढ़ौतरी हुई है ।

(ii) बोर्ड ने वर्ष 2015—16 के दौरान ₹215784927/— की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त की जोकि कुल आय का 26 प्रतिशत थी । इस वर्ष के परीक्ष शुल्क में पिछले वर्ष की तुलना में रू0 60439078/— की कमी पाई गई है ।

(iii) वर्ष 2015—16 के दौरान बोर्ड ने पुस्तक विक्रय से ₹311291223/— की राशि प्राप्त की जो कुल आय/प्राप्तियों का लगभग 38 प्रतिशत थी जिसमें इस वर्ष पुस्तक विक्रय राशि में ₹33199487/—की वृद्वि हुई है ।

(1.4.2) व्यय :—

(i) वर्ष 2014—15 में बोर्ड का कुल व्यय ₹642426306/— थी जबकि इस वर्ष यह राशि घटकर रू0 589464975/— हो गई है तथा इसमें ₹52961331/— की कमी पाई गई है ।

(ii) **वेतन व भत्ता अदायगीः—** बोर्ड द्वारा वर्ष 2015—16 के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन व भत्तों पर कुल ₹183005346/— खर्च किए हैं जो कुल व्यय व प्राप्तियों का क्रमशः 31 प्रतिशत व 22 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2014—15 के दौरान इस मद पर कुल खर्च रू0 197062744/— किया गया था जो कुल व्यय व आय का क्रमशः 31 प्रतिशत व 32 प्रतिशत था ।

(iii)चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्ययः— वर्ष 2014—15 में बोर्ड ने उक्त शीर्ष के अन्तर्गत ₹1392728/— व्यय किए थे जबकि इस वर्ष ₹1238077/— चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर व्यय किए गए हैं।

(iv)यात्रा भत्ता पर व्यय :— वर्ष 2014—15 के दौरान यात्रा भत्ता बिलों की अदायगी पर बोर्ड ने ₹2476340/— व्यय किए थे जबकि वर्ष 2015—16 में यह खर्चा ₹2010852/— हुआ है, परिणामस्वरूप 2015—16 में गत वर्ष की तुलना में उपरोक्त मद पर ₹465480/—कम व्यय हुए हैं ।

(v)कार्यालय /प्रशासनिक व्यय :— वोर्ड द्वारा वर्ष 2014—15 में कार्यालय व्यय पर रू0 26795361/— खर्च किए जबकि इस वर्ष 2015—16 में ₹16022373/— व्यय किए गए ।

(vi) बिजली पानी का खर्च :– वर्ष 2014–15 में बिजली पानी पर किया गया खर्च रू0 3341164/– था जबकि वर्ष 2015–16 में यह व्यय बढ़कर ₹3896028/–हुआ है ।

(vii) **हाट एण्ड कोल्ड पर व्ययः**– इस मद पर वर्ष 2014–15 के दौरान व्यय ₹10998/– था जबकि वर्ष 2015–16 के दौरान 70680/– का व्यय किया गया है ।

(viii) **डाक सेवा टिकट पर व्ययः–** बोर्ड ने इस मद पर वर्ष 2014–15 में ₹4047363/– व्यय किए थे जबकि इस वर्ष 2015–16 में 2529152/– खर्च किए गए

(ix) **टेलीफोन/ई0पी0बी0एक्सः–** इस मद पर वर्ष के दौरान रू0 1707961/– व्यय किए गए जबकि पिछले वर्ष रू0 843466/– व्यय किए थे ।

(x) **स्टेशनरी/बाईडींग** :– वर्ष 2014–15 में स्टेशनरी/बाईडींग पर किया गया व्यय रू0 1213476/–था जबकि वर्ष 2015–16 में यह खर्चा बढ़कर ₹1341313/– हुआ है ।

(1.4.3) पैंशन निधिः– वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान पैंशन निधि में प्राप्त राशियों व व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्न है :–

	वर्ष 2014–15	**वर्ष 2015–16**
प्राप्तियां	85156343	81113488
व्यय	90490172	96398284

बर्ष 2015–16 की प्राप्तियों में बोर्ड की सामान्य निधि से इस निधि में स्थानान्तरित ₹29093237/– भी सम्मिलित है ।

(1.4.4)पुस्तकों का मुद्रणः– वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड ने कागज की खरीद पर 20808911/– व पुस्तकों के मुद्रण पर ₹72699034/– व्यय किए इस प्रकार कागज खरीद व पुस्तक मुद्रण पर कुल₹ 93507945/– खर्च किए गए जबकि पुस्तकों की विकी से बोर्ड ने ₹311291223/– प्राप्त किए । यद्यपि कुछ पुस्तकें व कागज स्टाक में शेष रहने के साथ–2 कुछ संस्थापन खर्च/overhead charges पर भी व्यय किए गए होगें तथा पिछले वर्ष का शेष कागज व पुस्तकें इस वर्ष कमशः प्रयोग व विकय भी की गई होगी ।

(1.4.5) परीक्षा संचालन शीर्ष :– विचाराधीन वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड ने परीक्षा संचालन पर कुल ₹314429435/– खर्च किए जबकि परीक्षा शीर्ष के अर्न्तगत प्राप्त आय ₹215784927/– है । इस प्रकार बोर्ड को इस मद के अन्तर्गत भी 98644508/– की क्षति उठानी पड़ी है ।

(1.4.6) <u>गोपनीय निधिः–</u> वर्ष 2014–15 के दौरान गोपनीय निधि को रू0 20000000/– सामान्य निधि से स्थानान्तरित किए थे जबकि इस वर्ष रू0 42500000/– उक्त निधि को स्थानान्तरित किए गए हैं ।

(1.5) **<u>गत अंकेक्षण प्रतिवेदन</u>** :–' पूर्ववर्ती वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के बहुत से पैरे जिनका विवरण परिशिष्ट 'ए' में दिया गया है की अनुपालना न करने के कारण अभी तक शेष है तथा निपटारे हेतु कार्यवाही न करने के कारण वर्ष दर वर्ष अनिर्णीत पैरों में बढ़ौतरी हो रही है अतः बोर्ड के प्राधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि गत वर्षों से अनिर्णीत चले आ रहे पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से उप नियंत्रक ले0 प0 तथा इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

<u>भाग–2</u>

<u>2. वर्तमान अंकेक्षण :</u>– हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड में निवासी अंकेक्षण योजना अधिसूचना संख्याः 21–3/70–शिक्षा–11 दिनांक 18.3.1971 के अनुसार आरम्भ की गई थी । अवधि 1.04.2015 से 31. 03.2016 तक श्री कशमीर सिंह वर्मा, उप नियंत्रक (ले0प0) इस योजना के प्रभारी रहे तथा इस काल में अन्य स्टॉफ भी कार्यरत रहा है ।

"Audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the Controlling Officer of the Institution.

Local Audit Department disclaims any responsibility for any mis-information or non submission of information on the part of auditee. Responsibility of audit is confined to the months selected for detailed check for post audit."

3. <u>अंकेक्षण शुल्क</u>:– हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के लेखाओं वर्ष 2015–16 के लिए पूर्ण एवं उत्तरांकेक्षण करने का शुल्क रू0 6451091/– आंका गया जिसे सरकारी कोष में जमा करवा दिया गया है ।

<u>4. वित्तीय स्थितिः</u>– रोकड़ वही में दर्ज प्रविश्टियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2015–16 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

	2014–15	**2015–16**
1. गत शेष	451774035.09	420301142.90

2. प्राप्तियां	610953413.81	810499769.00
3. योग	106272448.90	1230800911.90
4. भुगतान	642426306.00	589464975.75
5. अन्तिम शेष	420301142.90	641335936.15

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशियों का विवरणः–

1.	विभिन्न बचत बैंक खातों में जमा राशि (परिशिष्ट 'बी')	303005502.96
2.	विभिन्न बैंकों में निवेशित राशि (परिशिष्ट 'सी')	336600000.00
	योगः–	**639605502.96**

4.1 **बैंक समाधान विवरणी :–**

1.	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	641335936.15
2.	विभिन्न प्राप्त चैक/बैंक ड्राफ्ट जिनका क्रेडिट बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक नहीं दिया गया था ।	(-) 2255670.00
3.	दिनांक 1.1.2016 से 31.3.2016 तक जारी चैंकों की राशि जो दिनांक 31.3.2016तक बैंक खातों से भुनाए नहीं कए थे ।	(+) 4281067.00
4.	रोकड़ बहीं अनुसार बैंक खातों में राशि	643361333.15
5.	बैंकों में जमा राशियां	639605502.96

बैंक समाधान विवारणी के अनुसार बैंक के अन्तिम शेष तथा रोकड़ बही के अन्तिम शेष में मुबलिग रू0 3755830.19 का अन्तर रहता है । इस अन्तर के मिलान हेतु न तो कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया था और न ही अन्तर के मिलान हेतू कोई ठोस कार्रवाई की गई । अतः अन्तर के मिलान हेतू कार्रवाई करने की आवश्यकता है ।

4.2 हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के लेखाओं वर्ष 2015–16 का वार्षिक लेखा, ऑडिट टिप्पणियों सहित इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'बी' पर संलग्न है ।

4.3 हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा–14 (सी) के प्रावधानुसार वार्षिक शुद्व बचत की राशि प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हि0 प्र0 सरकार के पास शिक्षा सुधार हेतु जमा करवाई जानी अपेक्षित थी । वर्ष 2015–16 के अन्त शेष रू0 639605502–96 में से कोई भी राशि हि0 प्र0 सरकार को उपरोक्त उद्वेश्य हेतु नहीं भेजी गई थी तथा न ही इसका वर्ष 2015–16 के बजट में कोई प्रावधान रखा गया है जोकि निश्चित तौर पर अधिनियम की उल्लधंना है जबकि इस प्रकार की आपत्ति गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाई गई थी इसके बाबजूद स्थिति यथावत जारी है । अतः बोर्ड प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करें ।

4.4 **आय व व्यय के प्रमुख साधनः–** बोर्ड की आय के मुख्य स्त्रोत परीक्षार्थियो से परीक्षा शुल्क की बसूली तथा पुस्तकों का विक्रय तथा व्यय में वेतन भत्तों का भुगतान परीक्षा संचालन तथा पुस्तकों का मुद्रण इत्यादि मदें शामिल हैं ।

4.5 **निवेशः**– बोर्ड द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक सामान्य खाते में से परिशिष्ट 'सी' के अनुसार ₹336600000/– सावधि जमा खाते में निवेश की गई थी ।

5. **सामान्य भविष्य निधि** :– सामान्य भविष्य निधि की वर्ष 2015–2016 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न प्रकार से है:–

1. गत शेष	146700854.24
2. प्राप्तियां	67157499.00
योगः–	213858353.24
3. भुगतान	68767112.00
अन्तिम शेष	145091241.24
(क) बैंक खाता का दिनांक31.3.2016 को शेष	3644330.24

(ख) दिनांक 31.3.2016 को भविष्य निधि में से निवेशित राशियां (परिशिष्ट–डी) **141446911.00**

अन्तिम शेष बैंक 145091241.24

5.1 **<u>सामान्य भविष्य निधि के रख–रखाब में कुप्रबन्धनः–</u>**

उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2015–16 के अन्त में सामान्य भविष्य निधि खातों के अनुसार कुल देनदारी ₹ 208604643/– थी जबकि 31.3.2016 को निधि में कुल ₹. 186830300.24 (145091241.24 वास्तविक राशि जमा ₹ 41739059/–अंशदायी भविष्य निधि में से निवेशित राशियों पर दिनांक 31.3.2016 को अर्जित होने वाला ब्याज) उपलब्ध थी जोकि वास्तविक देनदारी से ₹21774342.76 कम थी । विवरण परिशिष्ट –डी पर दिया गया है । अतः निवेशों पर प्राप्त ब्याज की राशि तथा खाताधारकों को देय ब्याज की राशि को संतुलित करके निधि पर बढ़ रही देनदारी को कम किया जाना सुनिश्चित करें ।

बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि इस गम्भीर अनियमितता को समय रहते सुधार करने हेतु उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा खाताधारकों को निधि की सावधि जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज की राशि के अनुसार ही ब्याज का आंबटन किया जाए । अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

<u>6. पैंशन निधिः–</u> पैंशन निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है । :–

1. गत शेष	387278216.00
2. प्राप्तियां:–	81113488.00
कुल योग	468391704.00
3. भुगतान	96398284.00
4.अन्तिम शेष	371993420.00
5. दिनांक 31.3.16को बैंक में अन्तिम शेष का विवरण	
6. बैंक खातों का शेष	12192052.00
7. निवेशित राशियॉ	**359801568.00**
योगः–	**371993620.00**

6.1 पैंशन निधि में से दिनांक 31.3.16 को निवेश की गई राशियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट **<u>'...ई.'</u>** पर दिया गया है ।

6.2 <u>पैंशन निधि का प्रबन्धनः–</u> सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों की देनदारियों की अदायगी का आंकलन बोर्ड प्रशासन ने वर्ष 2015 से वर्ष 2030 तक Chartered Accountant से करवाया है । इस निधि की व्यवहारिकता का वर्तमान मूल्यांकन निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	योग	दायित्य भुगतान	अन्तिम शेष
2015–16	387278216	81113488	468391704	117506583	350885121
2016–17	350885121	35000000	385885121	160682425	225202696
2017–18	225202696	30000000	255202696	158842203	96360493
2018–19	96360493	25000000	121360493	196732917	(–)75372424

उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष 2018–19 में पैंशन निधि में घाटा पड़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि इस फण्ड में अंशदान देने वाले कर्मचारियों की संख्या सेवा निवृति के कारण उतरोत्तर कम होती जाएगी जिसके कारण लगभग 50 लाख का अंशदान प्रप्तियां प्रत्येक वर्ष कम होती जाएगी व पैंशनधारकों की संख्या बढ़ने के कारण liability हमेशा बढ़ती जाएगी जिसके कारण पैंशन निधि की जीवनक्षमय (viability) पर संकट उत्पन्न होना प्रतीत होता है । इस वर्ष 2015–16 की वास्तविक प्राप्तियां (अंशदान) मात्र ₹52020251/– है जबकि ₹29093237/– बोर्ड के सामान्य फण्ड से स्थानान्तरित किए गए हैं ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि पैंशन योजना को जीवनक्षमय बनाये रखने के लिए विशेष ध्यान देते हुए स्वीकृत पैंशन योजना के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए तथा आवश्यक हो तो मामला सरकार से भी उठाया जाए ।

7. <u>उपदान निधिः–</u> उपरोक्त निधि की वर्ष 2015–16 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :

	वर्ष 2015–16
1. गत शेष	1083321.00
2. प्राप्तियां	22509354.00

3.कुल योग	23592675.00
4. भुगतान	20622117.00
5. अन्तिम शेष	2970558.00
6. बैंक खाता का अन्तिम शेष	2970558.00

8. **<u>अध्यापक कल्याण निधिः–</u>** उपरोक्त निधि की वर्ष 2015–16 की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित हैः–

1.	गत शेष	12799628.23
2.	प्राप्तियां	2747976.00
3.	**योग**	**15547604.00**
4.	भुगतान	47820.00
5.	अन्तिम शेष	15499784.00
6.	दिनांक 31.3.2016 को बैंक शेष व निवेशों की राशि का विवरणः–	
क)	बैंक खाता में राशि	50174.00
ख)	निवेशित राशि	14321610.00
ग)	मोड स्थानान्तरण राशि	1128000.00
	योगः–	**15499784.00**

(ii) <u>अध्यापक कल्याण निधि से किए गए निवेशों का विवरण निम्नलिखित है:–</u>

क्र0 सं0	एफ0डी0आर0 नं0	निवेश राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	बैंक का नाम
1.	34926259268	1200000	12.5.16	1298919	एस.बी.आई.धर्मशाला बे
2.	35003941026	158820	14.6.16	171912	एस0बी0पी0 धर्मशाला
3.	33064326582	1320281	16.6.16	1429115	एसबीपी धर्मशाला
4.	65170594153	3978016	25.6.16	4327926	एसबीआई धर्मशाला बो
5.	34057229498	2942329	20.8.16	3169288	–यथोपरि–
6.	34071374028	**2349399**	**20.8.16**	2530622	–यथोपरि–
7.	33019966446	**2372765**	**27.5.16**	2835054	–यथोपरि–
	योगः–	**14321610**			

निधि से इस वर्ष केवल ₹47820/– ही व्यय किए गए हैं जबकि दिनांक 31.3.2016 को ₹15499784/–शेष थे । इस निधि को अध्यापक एवम बोर्ड कल्याणार्थ व्यय न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

9. <u>गोपनीय निधिः–</u> सचिव द्वारा दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.16 को ₹50251.75 अनुपयुक्त शेष थे, जिन्हें वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित नही किया गया है । जिसे सम्मिलित किया जाना सुनिष्चित किया जाए ।

10. **<u>अनुदानः</u>**– अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणानुसार बोर्ड कार्यालय द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं किया है ।

11. **<u>ऋणः–</u>** वर्ष 2015–16 के दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई भी ऋण नहीं लिया गया है और न ही कोई ऋण लौटाया जाना शेष था ।

12. **<u>शिक्षा विभाग से प्राप्त अग्रिम रू0 1530.31 लाख का समायोजन न करना :–</u>** शिक्षा विभाग को उधार बेची गई पुस्तकों के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा बोर्ड की विक्रय शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 31.3.2016 तक शिक्षा विभाग से निम्न विवरणानुसार ₹153030850/–अग्रिम

राशि प्राप्त हुई है । इस का समायोजन भविष्य में बिक्री होने वाली पुस्तकों के विरूद्व किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

क्र0 सं0	विवरण	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	प्रारम्भिक/प्राथमिक शिक्षा निदेशालय
1.	गत शेष (बसूली योग्य राशि (+)/ प्राप्त अग्रिम राशि (-)	शून्य	(–) 145537516.00
2.	वर्ष 2015–16 के दौरान उधार विक्री	88481827.00	168407566.00
3.	कुल (2–1)	88481827.00	22870050.00
4.	छूट (Discount)	–	13166900.00
5.	वर्ष 2015–16 में शुद्व बसूली योग्य राषि	88481827.00	9703150.00
6.	**वर्ष 2015–16 में बसूल की गई राशि**	88481827.00	162734000.00
7.	**अन्तिम शेष बसूली योग राशि (+) /प्राप्त अग्रिम राशि (-)**	–शून्य–	(–)153030850.00

13. परीक्षा शुल्क ₹7.65 लाख की बसूली बारे :–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2015–16 में 1.4.2015 से 31.3.2016 तक छात्रों से रू0 765436/– परीक्षा शुल्क के रूप में देय थी जबकि 31.3.2016 तक कुल कितनी राशि छात्रों से बसूली हेतु लम्बित थी की सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई । परिणामस्वरूप 31.3.2016 तक कुल कितनी राशि बसूली हेतु लम्बित है की पुष्टि नहीं हो सकी । यह प्रकरण शिक्षा बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में राशियों की बसूली के लिए आवश्यक पग उठाये जाने हेतु लाया जाता है ।

14. ₹1.16/– लाख को बैंक में कम जमा करना :–

वर्ष 2015–16 में बोर्ड की आय शाखा द्वारा विभिन्न बैंक चैकों/ड्राफटों की राशियां जोकि बैंक में जमा करवाई दर्शाई गई के विरूद्व बैंक में कम राशियां क्रेडिट की गई जिसका विवरण

संलग्न परिशिष्ट 'एफ' में दिया गया है परिणामस्वरूप ₹116037/– बैंक में कम जमा हुई जिसकी जांच करके कम राशि की बसूली हेतु प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाया जाऐ तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

उपरोक्त कम प्राप्त राशियों के अतिरिक्त संलग्न परिशिष्ट.'जी' में वर्णित राशियों ₹ 24480/–का क्रेडिट बैंक द्वारा अधिक दिया गया है । अतः सम्बन्धित बैंकों से यह स्पष्ट करवाया जाए कि किन–2 क्रम प्राप्त क्रेडिट के विरूद्व बैंक द्वारा अधिक राशि का क्रेडिट दिया गया है । ताकि कम प्राप्त राशियों का समायोजन अधिक प्राप्त राशियों से किया जा सके तथा वास्तविक कम प्राप्त राशियों का विवरण स्पष्ट हो सके।

15. वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्तियों के अभिलेख में पाई गई त्रुटियों बारेः–

वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड की प्राप्तियों के अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई है जिनके समाधान हेतु बोर्ड प्रशासन से अनरोध किया गया था । इस सन्दर्भ में पिछले वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अनुरोध किया गया था ।

1.) बोर्ड प्रशासन के अनुरोध के उपरान्त बैंकों द्वारा निम्नलिखित बोर्ड के बैंक खातों में Autosweep/Debitsweep/Mode व्यवस्था लगाई गई थी । इन खातों में वर्ष 2015–16 के दौरान कितना ब्याज बैंक द्वारा दिया गया था बैंक विवरण से स्पष्ट नहीं किया जा सका क्योंकि इस व्यवस्था बारे न तो सम्बन्धित बैंक शाखा के कर्मचारी/अधिकारी स्पष्ट कर पा रहे थे जिससे इन खातों की reconciliation में कठिनाई आ रही है यद्यपि लेखा परीक्षा ने इन खातों का reconciliation कर लिया है परन्तु बोर्ड प्रशासन से अनरोध है कि Mode व्यवस्था को या तो बंद किया जाए या इस व्यवस्था से सम्बअन्धित बैंक खातों की detailed checking सुनिश्चित करें ताकि Mode में हस्तांतरित की गई तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि का सत्यापन किया जा सके ।

क्रमांक	खाता संख्याः	नाम बैंक
1.	10551097410	एसबीआई धर्मशाला
2.	136000100168255	पीएनबी धर्मशाला
3.	20002044367	के0सीसीबी, धर्मशाला
4.	11510100005916	यूको बैंक, धर्मशाला
5.	65057059670	एसबीपी धर्मशाला
6.	50056768952	केसीसीबी धर्मशाला

2) प्राप्तियों के समर्थन में Basic record न रखने बारे :–

बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यकलापों के लिए जो शुल्क प्राप्त किया गया था, के समर्थन में विशेष रूप से जो राशियां online प्राप्त की गई थी, का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था जैसे कि बैंक चालान की प्रति या कोई पत्र जिससे स्पष्ट हो सके कि राशि किस उदेश्य के लिए प्राप्त की गई थी । इस मूल अभिलेख के अभाव में प्राप्तियों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेख का रख–रखाब सुनिश्चित किया जाए ।

3) बोर्ड आय शीर्ष 101(7) के अन्तर्गत ₹21895312/– की राशि को अवर्गीकृत आय शीर्ष के रूप में दर्शाया गया हे । इस अवर्गीकृत आय को वर्गीकृत करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं क्योंकि इतनी भारी राशि को अवर्गीकृत रहने के क्या कारण है जबकि अधिकतर आय बोर्ड आनलाईन ही प्राप्त कर रहा है ।

4) बोर्ड कार्यालय द्वारा अधिकतर प्राप्तियां online बैंकों में प्राप्त की जा रही हैं परन्तु online प्राप्त राशियों को बोर्ड की प्राप्तियों में सम्मिलित/लेखांकित करने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है जिससे बोर्ड की आय का सही आंकलन करने में काफी कठिनाई आ रही है तथा इसके कारण बोर्ड के वार्षिक लेखा में दर्शाई गई प्राप्तियां बोर्ड की आय का सही, स्पष्ट एवम् उचित दृष्टिकोण का चित्रण/स्थिति प्रस्तुत नहीं करती है ।

5) बोर्ड द्वारा संचालित सभी आय खातों की बैंक विवरणियों की डेबिट प्रविष्टियों की जांच आय शाखा द्वारा सही ढंग से नहीं की गई थी । केवल क्रेडिट प्रविष्टियों कों ही महत्व दिया जा रहा हे

कि प्राप्त बैंक ड्राफट राशियों का क्रेडिट बैंक द्वारा दे दिया गया अथवा नहीं । जबकि डेबिट प्रविष्टियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जिसमें हरेक डेबिट की औचित्ययता की जांच आवश्यक है । अतः बोर्ड प्रशासन से इस ओर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है ।

16. बोर्ड द्वारा प्राप्त आय का विवरण न देने बारेः–

ऑडिट अधियाचना संख्याः 534 दिनांक 6.1.2017 द्वारा विभिन्न आय स्त्रोतों की कितनी–2 राशि दिनांक 31.3.2016 तक बसूली हेतु लम्बित थी, बारे सूचना मांगी गई थी जिसमें से परीक्षा केन्द्र अवरोधन शुल्क/पुराने परीक्षा केन्द्रों का अनुवर्ती शुल्क की दिनांक 31.3.2016 तक बसूली योग्य शेष राशि से सम्बन्धित सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

17.बोर्ड कालौनी सिद्वपुर में आवास खाली रहने के कारण बोर्ड निधि को ₹170496/– से अधिक राशि की हानि बारेः–

ऑडिट अधियाचना संख्याः 934 दिनांक 6.1.2017 अनुसार बोर्ड प्रशासन से यह सूचना मांगी गई थी कि बोर्ड की अचल सम्पति/भवन/आवासीय कालौनी जो दिनांक 1.4.2015 से 31.3.2016 तक खाली रही या उपयोग में नहीं लाई जा सकी का विवरण लेखा परीक्षा को दिया जाए । इस सन्दर्भ में पत्र संख्याः एच0पी0/8/ स्टौर/ conts/2017–396 दिनांक 3.3.2017 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार बोर्ड कालौनी सिद्वपुर में टाईप–3 के 8 क्वार्टर 1.4.2015 से 31.3.2016 तक मुरम्मत कार्य करवाने के लिए खाली रहे बताये गये है । इस सन्दर्भ यह प्रस्तुत है कि उक्त 8 क्वार्टर पिछले वर्ष उपलब्ध करवाई गई सूचना पत्र संख्याः 371 दिनांक 28.11.15 अनुसार दिनांक 25.3.2014 से मुरम्मत कार्य के लिए खाली रहे बताये गये थे क्या इन क्वार्टर की मुरम्मत के लिए इतना वक्त लगना था । इन आवासों के खाली रहने से बोर्ड निधि को लगभग ₹170496/– की हानि निम्नविवरणानुसार उठानी पड़ी है ।

क्रमांक	**खाली आवास**	**खाली रहने की अवधि**	**मानक किराया**	**कुल मानक किराया**	**मकान किराया भत्ता**	**कुल मकान किराया भत्ता**	**मकान किराया व मकान किराया भत्ता का योग**
1.	8 नं0	1.4.14 से 31.3. 16	388/–	74496/–	500/–	96000/–	170496/–

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि खाली पड़े आवासों को शीघ्र आंबटित किया जाए तथा इनकी मुरम्मत को इतना अधिक समय लगने का क्या कारण रहा जिससे बोर्ड को लगभग ₹170496/– की हानि उठानी पड़ी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए ।

(i) इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि जिन कर्मचारियों को आवास आंबटित किए जाते हैं उनके आंबटन आदेशों की प्रतियां लेखा परीक्षा को प्रेषित नहीं की जाती है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि किन–2 कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा आवास को स्वीकार कर लिया गया तथा किन–2 द्वारा आवास की Possession नहीं ली तथा जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने आंबटित आवासों का कब्जा नहीं लिया था उन्हें हि0 प्र0 सरकारी आवास आंवटन/स्कूल शिक्षा बोर्ड आबास आंबटन नियम 9(1) अनुसार एक वर्ष के लिए पहले आंबटन की तिथी से आयोग्य तथा आयोग्यकरार दिए गए कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नियम 4(बी)(1) अनुसार एक वर्ष के लिए मकान किराया भत्ता की अदायगी भी नहीं की जानी चाहिए थी ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि आवास आंबटन आदेशों की प्रतियां लेखा परीक्षा को उसी समय प्रेषित की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि possession न लेने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों का मकान किराया भत्ता नियमाुनसासर नियमित किया जा सके । इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 के दौरान आंबटित आवासों का कब्जा न लेने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के मकान किरया भत्ता की अदायगी को भी नियमानुसार नियमित किया जाए ।

18. <u>सरकार को पुस्तकों की बिक्री अधिकतम परचून मूल्य पर करने बारेः–</u>

शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रति वर्ष प्रथम से 10वीं कक्षा तक विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड से एम0आर0पी0 पर पुस्तकों का क्रय करके छात्रों को निशुल्क दी जाती है । एक ओर बोर्ड द्वारा अधिनियम, 1968 की धारा 14(2) के अनुपालना में अपनी वार्षिक बचत की राशि शिक्षा विभाग हि0 प्र0 को स्कूली शिक्षा के सुधार हेतु नहीं भेजी गई । तथा दूसरी ओर पुस्तकें भी एम0आर0पी0 पर ही विक्रय की गई जबकि यह लागत जमा निर्धारित लाभ पर विक्रय की जानी चाहिए थी । इस सम्बन्ध में वर्ष 2010–11 की अंकेक्षण रिपोर्ट के पैरा संख्याः 23 द्वारा आपत्ति उठाई गई थी लेकिन इसके वावजूद स्थिति यथावत जारी है । बोर्ड द्वारा वर्ष 2015–16 में हि0 प्र0 शिक्षा विभाग को विक्री की गई पुस्तकों की सूचनाा अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई परिणामस्वरूप लागत से अधिक चार्ज की गई राशि का आंकलन नहीं हो सका । अतः परामर्श दिया जाता है कि सरकार को विक्री की जाने वाली पुस्तकों को लागत व औचित्यपूर्ण लाभांश पर विक्री किया जाए ।

19. सामान्य निधि से एक ही अवधि व दिनांक के निवेशों पर अलग–2 ब्याज दरों पर निवेश करने बारे :–

सामान्य निधि निवेश रजिस्टर की जांच पर पाया गया कि बोर्ड प्रशासन द्वारा सामान्य निधि से निवेशित निम्नलिखित राशियां विभिन्न बैंक में अलग–2 ब्याज दरों पर निवेश की गई है जोकि वित विभाग हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्याः फिन–आई–एफ (ए) 1–3/91–V दिनांक 6.11.2008 के प्रावधानों के विपरीत है । उक्त पत्र में वित विभाग ने 100 प्रतिशत फालतु निधि (Surplus Fund) को हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक/ कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में वित्तीय सूझ–बूझ विशेषतः प्रतियोगी ब्याज दरें प्राप्त करने उपरान्त निवेशित करने की हिदायतें दी गई थी । जिसके अनुसार बोर्ड प्रशासन को सभी बैंकों से प्रतियोगी ब्याज दरें आंमन्त्रित की जानी चाहिए थी तथा जो बैंक अधिक ब्याज दर देने के लिए सहमत होता उसी से निवेश किए जाने आपेक्षित थे परन्तु निम्नलिखित निवेश राशियां बिना प्रतियोगी ब्याज दरें प्राप्त किए ही निवेशित की गई है जोकि वित विभाग के उपराक्त वर्णित पत्र व वित नियमावली के विपरीत है ।

इस प्रकार निम्न विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि राशियों को सूझ–बूझ व उचित ढंग से बोर्ड प्रशासन द्वारा निवेशित नहीं किया जा रहा है जो बैंक अधिक ब्याज देने को सहमत होता उसी बैंक में राशियों का निवेश किया जाना चाहिए था । इस प्रकार यह वित्तीय माप–दण्डों का सरासर उल्लंघन है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि इन निवेश राषियों को उक्त वित विभाग के पत्र की अनुपालना न करने एवं अलग–2 दरों पर निवेश करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बिना प्रतियोगी ब्याज दरों के राशियों को निवेश करने के कारण कम प्राप्त ब्याज राशि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए ।

कमांक	**एफ0डी0आर0 नं0**	**राशि**	**निवेश तिथि**	**निवेश अवधि**	**ब्याज दर प्रतिशत**	**बैंक का नाम**
1.	11510310046548	50 लाख	1.5.14	365 दिन	9.10	यूको
2.	251700PU00005816	50 लाख	8.5.14	365 दिन	9.00	पीएनबी
3.	10293031010569	50 लाख	29.10.14	365	9.00	ओबीसी

				दिन		
4.	10520300004948	50 लाख	30.10.14	365 दिन	9.05	बी.ओ.बी.
5.	33505457641	5432543	5.12.14	365दिन	8.75	एसबीआई
6.	337300PU00013784	50 लाख	6.12.14	365 दिन	9.00	पीएनबी
7.	65218865262	50 लाख	10.12.14	365 दिन	8.80	एसबीआई
8.	11510310051153	50 लाख	10.12.14	365 दिन	9.00	यूको
9.	11510310051337	50 लाख	17.12.14	365 दिन	8.75	यूको
10.	65219595190	50 लाख	17.12.14	365 दिन	8.80	एसबीपी
11.	10293031021220	50 लाख	17.12.14	365 दिन	8.90	ओ.बी.सी.
12.	474900PU00008861	50 लाख	16.12.14	365 दिन	9.00	पीएनबी
13.	337300PU00007994	1 करोड़	23.1.15	365 दिन	8.75	—यथो0—
14.	50060546795	1 करोड़	27.1.15	365 दिन	9.00	केसीसीबी

15.	13600PU0010510	50 लाख	27.1.15	365 दिन	8.75	पीएनबी
16.	1029303101902	50 लाख	27.1.15	365 दिन	8.60	ओबीसी
17.	651303030000517	50 लाख	11.2.15	365 दिन	8.60	यूनियन
18.	06700PU00005436	50 लाख	12.2.15	365 दिन	8.75	पीएनबी
19.	337300PU00017319	50 लाख	22.6.15	365 दिन	8.25	—यथो0—
20.	65235292572	50 लाख	23.6.15	365 दिन	8.52	एसबीपी
21.	65247015059	50 लाख	17.12.15	1 वर्ष	7.77	एसबीपी
22.	10293031021220	50 लाख	17.12.15	1 बर्ष	7.75	ओबीसी
23.	11510310051337	50 लाख	17.12.15	1 बर्ष	7.75	यूको
24.	0354050301365834	50 लाख	24.12.15	1 बर्ष	8.00	जे.एण्ड के.
25.	88133100000934	50 लाख	31.12.15	1 बर्ष	7.5	एच.जी.बी.
26.	013600PU00010510	50 लाख	27.1.16	1 बर्ष	7.5	पीएनबी
27.	65249446175	50 लाख	28.1.16	1 बर्ष	7.77	एसबीपी
28.	3100001205	50 लाख	25.1.16	1 बर्ष	7.5.	एच.जी.बी.

29.	10293031019029	50 लाख	25.1.16	1 बर्ष	7.75	ओबीसी
30.	10293031021671	50 लाख	12.2.16	1 बर्ष	7.75	ओबीसी
31.	651303030000730	50 लाख	12.2.16	1 बर्ष	7.65	यूनियन बैंक
32.	067800PU00005436	50 लाख	12.2.16	1 बर्ष	7.50	पीएनबी

20. ब्याज राशि की कम प्राप्ति बारेः– सामान्य भविष्य निधि के निम्न निवेशों को भुनाने पर उनके आगे दर्शाई गई ब्याज राशि कम प्राप्त की गई है । यह प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए तथा कम प्राप्त ब्याज राशि की भरपाई सुनिश्चित की जाए ।

क.सं.	**एफडीआर नं0**	**राशि**	**दिनांक**	**बैंक नाम**	**परिपक्वता राशि**	**बैंक में जमा राशि**	**कम प्राप्त ब्याज**
1.	2062401007133	50 लाख	25.7.14	केनरा बैंक	5468089	467243	846
2.	10520300004948	50 लाख	30.10.14	बीओबी	5468090	5300432	167658
3.	50060546795	1 करोड़	27.1.15	केसीसीबी	10930833	10853722	77111
4.	1300PU00010510	50 लाख	27.1.15	पीएनबी	5452066	440473	11593
5.	50061147429	21 लाख	30.4.15	केसीसीबी	2289868	170880	18988
6.	251700PU00012869	50 लाख	14.5.15	पीएनबी	5438740	433199	5541
7.	50061560800	1200000	1.7.15	केसीसीबी	13084958	976461	108497
8.	50060704005	5000000	20.2.15	केसीसीबी	5465417	419468	45949
9.	50061560811	10000000	1.7.15	केसीसीबी	10904132	813717	90415
						योग	**526598**

21. परिपक्वता तिथि से पहले निवेश राशियों को भुनाने बारेः– सामान्य भविष्य निधि से निवेशित निम्नलिखित राशियों को परिपक्वता तिथि से पहले ही भुना लिया गया है परन्तु बैंक द्वारा दिए गए ब्याज की गणना का विवरण बैंक से प्राप्त नहीं किया गया था जिसके कारण बैंक द्वारा दिए गए ब्याज की गणना की जांच नहीं हो पाई है । अतः अनुरोध है कि इन निवेशों पर दिए गए ब्याज की गणना का विवरण बैंक से लेकर लेखा परीक्षा में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ब्याज गणना का आंकलन किया जा सके ।

क्रं	एफडीआर नं0	बैंक का नाम	निवेश तिथि	राशि	परिपक्वता राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता तिथि से पूर्व भुनाने की तिथि	जिस राशि का केडिट दिया
1.	206240100713313	केनरा बैंक	22.7.15	50 लाख	5412161	22.7.16	3.9.15	5029452
2.	50290279917	इलाहाबाद	24.7.15	50 लाख	5417469	24.7.16	9.9.15	5030801
3.	770603311000780	विजय बैंक	6.8.15	50 लाख	5412161	6.8.16	2.9.15	5011096
4.	110610600004534	आईडीबी आई	14.8.15	50 लाख	5412161	14.8.16	2.9.15	5011712
5.	35110878651	एसबीआई	29.7.15	75 लाख	8278382	27.10.16	1.9.15	7531438
6.	35115839185	एसबीआई	31.7.15	75 लाख	8278382	29.10.16	1.9.15	7529589

22. पुस्तक वितरण केन्द्रों द्वारा ₹461/– को बैंक में कम जमा करवानाः–

बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक वितरण केन्द्रों के वर्ष 2015–16 के कैश मैमों की जांच के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई जिनका शीघ्र समाधान किया जाए ।

1) पुस्तक वितरण केन्द्रों के वर्ष 2015–16 के कैश मैमों की जांच करने उपरान्त निम्न राशि जो प्रत्येक पुस्तक वितरण केन्द्र के सामने दर्शाई गई है बैंक में कम जमा पाई गई :–

क्र0सं0	**पुस्तक वितरण केन्द्र का नाम**	**कैश मैमों बिल नं0/दिनांक**	**कैश मैमों का योग**	**अंकेक्षण द्वारा किया गया योग**	**अन्तर जो राशि कम जमा करवाई गई**
1.	पुस्तक वितरण केन्द्र राजगढ़	0031312, 15.5.2015	9445	9850	405
2.	पुस्तक वितरण केन्द्र सोलन	0029118, 25. 5.2015	15865	15871	6
3.	पुस्तक वितरण केन्द्र मण्डी	0030856, 22. 3.2016	46355	46405	50
4.				योगः—	**461**

अतःबैंक में कम जमा ₹461/— की बसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त बोर्ड निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करें । अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

2) पुस्तक वितरण केन्द्रों के कैश मैमों की क्रम बार जांच करने पर निम्न कैश मैमों न तो रसीद बुकों में पाए गए हैं व न ही इन कैश मैमों को रदद किया गया दर्शाया गया है । अतः इस बारे उचित जांच उपरान्त रिपोर्ट से लेखा परीक्षा शाखा को अवगत करवाया जाए ।

क्रमांक	पुस्तक वितरण केन्द्र का नाम	कैश मैमों
1.	बिलासपुर	30107,30110,30075,30076,30078,30158
2.	भोरजं	28266,28267,28268,28209,28210
3.	चम्बा	31126,31148,25376,24632,24639,24643,31211,31214, 31154
4.	चौतड़ा	24069,24097,24098
5.	धर्मशाला	31768,31769,31770,31741,31776,31777,31778,31779,31780, 31808,31822,31829
6.	हमीरपुर	29423,29476,29477
7.	मण्डी	29670से 29676,29715से 29717,29722,29723
8.	नाहन	28790
9.	पपरोला	31968, 31969
10	कुल्लू	7167,7168,8026,7188,7189
11.	रामपुर	5303, 5334से 5337
12.	रिकांगपिओ	38191
13.	रोहडू	29236,29263 से 29270
14.	शिमला	32226, 32227, 32229 से 32231
15.	सोलन	29139,29143,29168,29091,29184
16.	राजगढ़	31330

17.	उना	30988,31898,31009से 31011, 29922, 29929
18.	घुमारवीं	30610, 30611, 30616, 30654से 30657, 30666, 30670
19.	नगरोटा वगवां	32953
20.	नालागढ़	28881

3) पुस्तक वितरण केन्द्रों द्वारा प्रेषित बैंक विवरणियों का मिलान कैश मैमों रजिस्टर से करने पर निम्न पुस्तक वितरण केन्द्रों द्वारा बैंक में कम/अधिक राशि जमा की गई प्रतीत होती है जिसका पुस्तक वितरण केन्द्र व माहवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पुस्तक वितरण केन्द्र का नाम	माह	बैंक में कम जमा राशि	बैंक में अधिक जमा राशि
1.	चम्बा	जून, 2015	–	173710
2.	चम्बा	जुलाई, 2015	–	4386758
3.	चम्बा	अक्तूबर, 2015	–	2670
4.	धर्मशाला	अप्रैल, 2015	232	–
5.	–यथोपरि–	मई, 2015	36	–
6.	–यथोपरि–	जून, 2015	83	–
7.	–यथोपरि–	जुलाई, 2015	13	–
8.	कुल्लू	अप्रैल, 2015		729912
9	कुल्लू	अगस्त, 2015		156790
10	कुल्लू	नवम्बर, 2015		1327788
11	कुल्लू	फरवरी, 2016		848514
12	रिकांगपिओ	अप्रैल, 2015		1296054
13	–यथोपरि–	मई, 2015		2292863
14	शिमला	जून, 2015	21	–
15	–यथोपरि–	नवम्बर, 2015		24405
16	–यथोपरि–	दिसम्बर, 2015		1101
17	सोलन	जून, 2015		5270
18	सोलन	मार्च, 2016		4250
19.	उना	अप्रैल, 2015	64	–

अतः कैश मैमों रजिस्टर व बैंक विवरणियों में पाए गए अन्तर का समाधान कियाजाना सुनिश्चित करें ।

23.. ₹ 3127.77 लाख के अग्रिम राशियों का समायोजन न करनाः–

बोर्ड कार्यालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचियों के अनुसार विविध प्रयोजनों के लिए बोर्ड निधि में से दी गई अग्रिम राशियों में से दिनांक 31.3.2016 तक ₹312777273/– की राशि असमायोजित थी जिसका विवरण निम्नलिखित है । अतः इस राशि के समायोजन हेतु अतिशीघ्र पग उठाये जाऐं ।

क्रमांक संख्याः	अग्रिम राशि का विवरण	असमायोजित राशि
1.	फलाईंग स्कयेड हेतु दी गई अग्रिम राशि	75000.00
2.	यात्रा भत्ता हेतु दी गई अग्रिम राशि	32650.00
3.	बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को दी गई अग्रिम राशि (लेखा–3)	691288.00
4.	विभिन्न मुद्रकों/फर्मों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि (पुस्तक विवरण व सेल शाखा)	10258091.00
5.	विभिन्न फर्मों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि (लेखा–3)	166887832.00
1.	परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न अध्यापकों को दी गई अग्रिम राशि (लेखा–6)	121012079.00
7.	विभिन्न परीक्षकों, उप परीक्षकों व अन्य को उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु दी गई अग्रिम राशि(लेखा–7)	13820333.00

24. मार्च, 2015 की परीक्षा के लिए ₹88.52 लाख की अग्रिम राशि का अधिक भुगतान करने बारेः–

परीक्षा संचालन से सम्बन्धित अग्रिम राशि समयोजन बिलों की जांच के दौरान पाया गया कि शैक्षणिक सत्र 2014–15 की वार्षिक परीक्षा जो मार्च, 2015 में संचालित की गई में विभिन्न केन्द्र अधीक्षकों/समन्वयकों को आवश्यकता से अधिक अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था । ऑडिट अधियाचना संख्याः आरएएस/बी0ओ0एस0ई0/ एसएस/325 दिनांक 27.9.2016 के सन्दर्भ में सहायक सचिव, लेखा–6 क्षेत्रीय केन्द्र, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड संजौली द्वारा दी गई सूचि अनुसार रू0 88,52,446/– की राशि आवश्यकता से अधिक की अदायगी केन्द्रों को निम्न विवरण अनुसार की गई थी।

क्र0 सं0	शैक्षणिक सत्र	परीक्षा संचालन	कुल अग्रिम राशि दी गई	वास्तविक व्यय	अधिक दी गई अग्रिम राशि

1.	2014–15	मार्च, 2015	29240865 / –	20388419 / –	8852446 / –

उपरोक्त अधिक दी गई अग्रिम ₹88,52,446 / – में से केन्द्र अधीक्षकों / समन्वयकों द्वारा ₹6900982 / – बोर्ड निधि में जमा करवा दिए गए हैं परन्तु राशि रू0 1951464 / – अभी भी जमा करवाने शेष हैं जिसके कारण लगभग 1550 केन्द्रों की अग्रिम राशियां भी समायोजन के लिए लम्बित हैं ।

इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2013–14 के दौरान विभिन्न केन्द्र अधीक्षकों को परीक्षा संचालन के लिए ₹16221200 / – की राशि अग्रिम बतौर दी गई थी जबकि वर्ष 2014–15 की वार्षिक परीक्षा के लिए ₹29240865 / – की अग्रिम राशि का भुगतान विभिन्न केन्द्र अधीक्षकों को किया गया जिससे यह स्वतः स्पष्ट होता था कि इस वर्ष केन्द्र अधीक्षकों को अत्यधिक अग्रिम राशि का भुगतान दिया गया था ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि शैक्षणिक सत्र 2014–15 की वार्षिक परीक्षाओं मार्च, 2015 के लिए आवश्यकता से अधिक अग्रिम ₹8852446 / – स्वीकृत व देने के मामले की विभागीय स्तर पर जांच की जाए व ₹1951464 / – का अभी तक समायोजन नहीं हुआ है उसका समायोजन तुरन्त सुनिश्चित किया जाए अन्यथा दोषियों से बसूली सुनिश्चित की जाए भविष्य में सभी केन्द्रों को आवश्यकता का केवल 80 प्रतिशत ही अग्रिम बतौर भुगतान किया जाए ताकि अग्रिम राशियों का समायेजन सम्भव हो सके ।

25. कनिष्ठ सहायकों को ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत उच्च ग्रेड पे देने बारे :– कनिष्ठ सहायकों को ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत उच्च ग्रेड–पे देने के सभी मामले वित विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, “कि कनिष्ठ सहायकों को उच्च ग्रेड–पे का लाभ अनुक्रम / अधिक्रम वेतनमान में केवल उन कनिष्ठ सहायकों जिनकी ग्रेड–पे ₹2800 / – है तथा जो 9 और 14 बर्ष की सेवाकाल क्लर्क व कनिष्ठ सहायक के संयुक्त काडर (संवर्ग) में कनिष्ठ सहायक पद पर स्थापित (placement) होने के बाद प्रदान किया जाएगा वो भी वित विभाग के स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 6.4.1990 के क्रमांक–1 में वर्णित शर्तों के पूर्ण होने पर दिया जाएगा” के सन्दर्भ में जांचे गए । जिसमें से निम्नलिखित कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर ₹3000 / – व 3200 / – की ग्रेड–पे दे दी गई थी जिसे ऑडिट अधियाचना संख्याः 388 दिनांक 21.04.2015 द्वारा सचिव, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के ध्यान में इनके वेतन संशोधित करने हेतु लाया गया था ।

1) श्रीमति आशु नी हरदेई

2) श्री चुन्नी लाल

3) श्री अश्वनी कुमार

4) श्री नरोत्तम राम

उपरोक्त वर्णित कर्मचारियों के वेतन बोर्ड प्रशासन द्वारा संशोधित कर दिए गए परन्तु श्री नरोत्तम राम ने बोर्ड कार्यालय आदेश संख्याः हि0 शि0 बो0 (1) संस्थापन सा0 फ–12 (खण्ड–26) 2016–21036–040 दिनांक 18.3.2016 जिसके अन्तर्गत उसका वेतन पुनः निर्धारण किया गया था पर माननीय प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा स्थगन आदेश दिए गए हैं जिसे बोर्ड कार्यालय ने समसंख्यक आदेश दिनांक 6.12.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि श्री नरोत्तम राम के वेतन निर्धारण पर माननीय प्रशासनिक प्रधिकरण के नवीनतम आदेश से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

26. विभिन्न शिक्षण संस्थानों को 260000/– रू0 अनुदान के रूप में भुगतान की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने बारेः–

हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड अनुदान नियम 1997 के 3(ए) अनुसार अध्यक्ष, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2010 के बाद 260000/– रू0 की राशि विभिन्न शिक्षण संस्थानों को खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम/पुस्तकालय इत्यादि के लिए स्वीकृति उपरान्त अनुदान के रूप में अदायगी की गई है । उपदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं अनुसार सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्ये द्वारा बोर्ड कार्यालय को बोर्ड जिला प्रबन्धक/प्रभारी पुस्तक विक्रय केन्द्र के माध्यम से भेजे जाने थे । परन्तु क्या सभी शिक्षण संस्थाओं जिन्हे अनुदान राशि का भुगतान किया गया था, द्वारा बांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए हैं अथवा नहीं इससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाया गया है । जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिस उद्वेश्य हेतु अनुदान राशियां स्वीकृत की गई थी क्या उसी प्रयोजन हेतु संस्थानों द्वारा ब्यय की गई है ।

अतः अनुरोध है कि सम्बन्धित निम्नलिखित शिक्षण संस्थानों से नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके लेखा परीक्षा शाखा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं ।

क्र0 संख्याः	नाम शिक्षण संस्थान	राशि अनुदान
1.	प्रधानाचार्य, रा0 व0 मा0 विद्यालय थुनाग (मण्डी)	11000

2.	प्रधानाचार्य, कांगड़ा वैली व0 मा0 विद्यालय शीला चौक धर्मशाला	10000
3.	प्रधानाचार्य, रा0 व0 विद्यालय गोवाल टिक्कर (कांगड़ा)	11000
4.	प्रधानाचार्य, एस.डी.व0 विद्यालय, शिमला	11000
5.	प्रधानाचार्य, सरस्वति विद्या मन्दिर, मण्डी	11000
6.	प्रधानाचार्य, एस0डी0मॉडल स्कूल धंगोटी (कांगड़ा)	10000
7.	एम0एल0एम0डी0ए0बी0 कॉलेज कांगड़ा	10000
8.	प्रधानाचार्य, रा0व0विद्यालय रिकांगपिओ	10000
9.	प्रधानाचार्य, सेरकांग स्कूल ताबो लौहलस्पिति	10000
10.	प्रधानाचार्य, हिल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जुबल शिमला	20000
11.	प्रधानाचार्य, रा0 व0 विद्यालय नालागढ़	51000
12.	प्रधानाचार्य, रा0 व0 कन्या विद्यालय धर्मशाला	20000
13.	प्रधानाचार्य, डी0ए0बी0 कॉलेज कांगड़ा	5000
14.	प्रधानाचार्य, हील इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जुब्बल शिमला	20000
15.	प्रधानाचार्य, भारती विद्या पब्लिक स्कूल शिमला बैजनाथ	10000
16.	प्रधानाचार्य, भारती हिमालय पब्लिक स्कूल जधरांगल (चम्बा)	10000

17.	प्रधानाचार्य, इन्दो बुदिस्ट स्कूल कलाथ	20000
18.	प्रधानाचार्य, भगत सिंह मेमोरियल, स्कूल शिमला	10000
	योगः–	**260000 / –**

27. बोर्ड परिसर के पहुंच मार्ग (संड़क) की मुरम्मत के लिए ₹16.00 लाख की अग्रिम राशि देने बारे :–

बोर्ड प्रशासन ने अपने पत्र संख्याः एच0पी0 / 24 / स्टोर / निर्माण / 2014 / 1194 दिनांक 16.10.2014 अनुसार अधिशाषी अभियन्ता, हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, धर्मशाला से बोर्ड परिसर की सड़क की मुरम्मत / नवीनीकरण हेतु प्राक्कलन मांगा था जिसे अधिशाषी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्याः पी0डब्ल्यू / डीडी / डी0बी / एच0पी0एस0ई0डी0 / 2014–13681–82 दिनांक 27.3. 2014 अनुसार उक्त सड़क की मुरम्मत के लिए 2009150 / – रू0 का प्राक्कलन कार्य के निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया था । उक्त प्राक्कलन के 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के लिए बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया था जिसे लेखा परीक्षा ने कार्य की आवश्यकता को देखते हुए ऑडिट अधियाचना संख्याः 421 दिनांक 4.06.2015 के अन्तर्गत निम्नलिखित संप्रेक्षण टिप्पणियों सहित पारित किया गया था ।

1) सन्दर्भित सड़क म्युनिसिपल कमेटी, धर्मशाला के कब्जे में है तथा इस सड़क का मालिकाना हक हि0 प्र0 सरकार के नाम से पंजीकृत है । इस सड़क की मुरम्मत हेतु नगर पालिका धर्मशाला से कोई मामला नहीं उठाया गया केवल एनओसी ही प्राप्त किया गया है । बोर्ड ने आज दिन तक रू0 2998645 / – के नगरपालिका कर की अदायगी नगरपालिका को की है तो इस सड़क की मुरम्मत के लिए बोर्ड ने नगरपालिका को क्यों नहीं कहा था ।

2) इस सन्दर्भ में सम्बन्धित संचिका के अवलोकन पर पाया गया कि बोर्ड ने वर्ष–1997 के बाद से नगरपालिका कर की अदायगी बंद कर दी थी । इसके उपरान्त नगरपालिका ने वर्ष 1997–98, 1998–99 व 1999–2000 तक ₹74129 / – के कर का बिल बोर्ड को भेजा । दिनांक 8.5.2000 को नगरपालिका व बोर्ड प्रशासन के बीच मीटिंग हुई जिसमें यह सहमति हुई कि बोर्ड 31.12.2000 तक यदि उक्त राशि का भुगतान कर देता है तो इस पर पेनल्टी नहीं लगेगी तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि नगरपालिका 10 टूयब लाईट व सार्वजनिक टॉयलट बोर्ड परिसर के बाहर बनाकर देगा । रू0 74129 / – में से ₹48000 / – की राशि दिनांक 13.9. 2000 से 15.3.2001 के बीच भुगतान नगरपालिका को कर दिया गया जबकि

मयुनिसिपल कमेटी ने दण्ड सहित संशोधित बिल रू0 63588/– की राशि के लिए जारी किया गया जिसका भुगतान बोर्ड ने वर्ष 2014–15 के बिल के साथ कर दिया गया है । इस प्रकार ₹37459/– की राशि का भुगतान बतौर पनेल्टी राशि नगरपालिका को कर दिया गया जबकि कोई पनेल्टी न लगाने की सहमति दोनों के बीच हुई थी तथा न ही 10 टयूब लाईट व सार्वजनिक टायलट का निर्माण बोर्ड परिसर के बाहर किया गया था। इस प्रकार अधिक अदायगी की राशि की भरपाई अगले कर भुगतान बिलों में समायोजित की जाए ।

3) यद्यपि बोर्ड प्रशासन ने जिलाधीश, कांगड़ा से अनुरोध किया था कि ₹ 2000000/– की राशि का प्रावधान बोर्ड सड़क की मुरम्मत के लिए किया जाए परन्तु कार्यालय जिलाधीश कांगड़ा ने पत्र संख्याः KGR-LG (SDP) Misc /204–15–4011 दिनांक 19.02.2015 द्वारा असहमति जताई थी ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर यह मामला नगरपालिका/जिलाधीश से उक्त सड़क की मुरम्मत पर किए गए व्यय राशि के प्रत्यर्पण हेतु उठाया जाए क्योंकि यह व्यय बोर्ड निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यह सड़क नगरपालिका, धर्मशाला के अधीन पड़ती है जिसकी मुरम्मत का दायित्व भी नगरपालिका का ही था ।

28. 220 जी0एस0एम0 white Art Card कागज (कवर पेपर) के क्रय बारेः–

एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली की संस्तुति एवम् एन.सी.ई.आर.टी.व सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड के बीच दिनांक 12.9.14 को हुए इकरारनामा के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि पुस्तकों के मुद्रण के लिए 80 जी.एस.एम. व कवर के लिए 220 जी.एस.एम. का कागज शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

पुस्तक मुद्रण के लिए 80 जी.एस.एम. पेपर हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन से क्रय किया गया जबकि 220 जी.एस.एम. कवर पेपर की आपूर्ति के लिए कारपोरेशन ने अपनी असहमति जताई थी क्योंकि फर्म इस तरह के कागज का उत्पादन नहीं करती थी । फर्म ने एनओसी बोर्ड प्रशासन को जारी कर दिया था ताकि बोर्ड अपने स्तर पर इस तरह का कवर पेपर क्रय कर सके । बोर्ड ने पत्र संख्याः क्रमांक हि.शि.बो.(5)पु0 मु0 शाखा/कागज क्रय/2014–17518 दिनांक 27.10.2014 द्वारा डी.जी.एस.डी. भारत सरकार को उन फर्म के नामों की सूचि मांगी जो 220 जी0एस0एम0 A Grade Virgin Bambo कागज की आपूर्ति करती हो । यद्यपि डी.जी.एस.डी. से किया गया पत्राचार संलग्न नहीं था न ही लेखा परीक्षा को दिखाया गया परन्तु यह संचिका की टि0 44 व 55 पर वर्णित था कि डी.जी.एस.डी. भारत सरकार भी इस तरह के कागज की आपूर्ति नहीं करता है जैसा उनसे टेलीफोन पर बातचीत हुई थी ।

इस प्रकार पंजाब बोर्ड/सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर 220 जी.एस.एम. पेपर (A Grade virgin Bamboo) की खरीद हेतु short term tender notice दिनांक 15.11.14 को जारी किया गया जिसके अनुसार तकनीकी व वित्तीय बिड आमन्त्रित की गई थी । तीन कंपनियों द्वारा अपनी अपनी दरें प्रस्तुत की गई जिसमें से एक फर्म मैं0 रेनवो पेपर लिमिटिड का टेंण्डर सीधे तौर से तकनीकी स्तर पर रदद कर दिया गया और इस प्रकार वित्तीय निविदाएं दो फर्म की खोल दी गई । समझौते की बातचीत (negotiation) के उपरान्त दो फर्म जे.के. पेपर लिमिटिड नई–दिल्ली और मै0 बुलट ग्राफिक्स नई दिल्ली को कागज आपूर्ति का कार्य आंबटित कर दिया गया ।

लेखा परीक्षा में 80 प्रतिशत भुगतान ₹9463104/– का बिल जो कवर पेपर की आपूर्ति से सम्बन्धित था प्रस्तुत किया गया था । लेखा परीक्षा ने भुगतान बिल इस आपत्ति सहित वापिस किया था कि जब केवल दो फर्म ही रह गई थी तो पुनः टैंडर आमन्त्रित क्यों नहीं किया गया ताकि अधिक प्रतियोगिता दरें आती क्योंकि नियमानुसार न्यूनतम दरें निर्धारित करने के लिए कम से कम तीन फर्में प्रतिस्पर्धा में होनी चाहिए थी । इसलिए यह स्वतः स्पष्ट हो गया था कि जो दरें 220 जी0एस0एम0 white Art card Paper की न्यूनतम निर्धारित की थी वे बिना सरूचिपूर्ण प्रतियोगिता के थी अर्थात केवल दो फर्म की ही दरें ली गई जोकि हि0 प्र0 वित्त नियमावली, 2009 के नियम 109 के विपरीत था । ऑडिट की आपत्ति के सन्दर्भ में दिया गया औचित्य कि re-tendering सम्भव नहीं था क्योंकि इससे मुद्रण कार्य में बिलम्ब होना था क्योंकि यह कार्य समयबद्व होता है इसके अतिरिक्त इस तरह के कागज का कुछ फर्म ही उत्पादन करती है जिससे अधिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती थी ।

लेखा परीक्षा ने यह आपत्ति उठाई थी कि बोर्ड समय–सीमा बारे भलि भांति परिचित था । प्रत्येक वर्ष पुस्तकें विशेष माह में मुदित व आपूर्ति की जाती है इसलिए समय की कमी का कारण बताना सही नहीं थी तथा यह हि0 प्र0 वित्त नियमावली, 2009 के नियम–110 के विपरीत है जिसके अनुसार प्रत्येक विभाग को बिलम्ब को रोकने हेतु सामग्री भण्डारण के लिए प्रत्येक स्तर पर समय सारिणी का निर्धारण किया जाएगा । इसके अतिरिक्त टैंडर नोटिस किस–2 फर्म को किस–2 मोड द्वारा भेजे गए थे उससे सम्बन्धित रिकार्ड/रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका की कितनी फर्मों को tender notice भेजा गया था ।

यद्यपि फर्म को वित्तीय नुकसान न हो तथा कानूनी पेचिदगियां न हो क्योकि फर्म ने पूरा कागज आपूर्ति कर दिया था के मध्यनजर फर्मो के भुगतान बिल ₹9463104/– लेखा परीक्षा में स्वीकार कर लिए गए थे परन्तु ऑडिट अधियाचना संख्याः 449 दिनांक 16.7.2015 द्वारा बोर्ड प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि पूर्ण मामला विभागीय स्तर पर जांचा जाए और इस कोताही के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए क्योंकि ₹9463104/– का भुगतान जो दो फर्म को किया गया है वह नियमानुसार नहीं था क्योंकि जो दरें कवर कागज आपूर्ति पर दी गई

है वे पारदर्शी, प्रतियोगी व स्पष्ट नहीं थी। उक्त अधियाचना पर की गई कार्यवाही से आज दिन तक लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि उक्त सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाने की कृपा करें ।

29. **<u>बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र बर्ष 2015–16 के लिए मुद्रित करवाई गई पुस्तकों की प्रतियोगी दरों बारेः–</u>** बोर्ड ने वर्ष 2015–16 के शैक्षणिक सत्र की पुस्तकों को मुद्रित करवाने के लिए टैंडर नोटिस क्रमांक एच0बी0(5) बुक्स प्रिटिंग ब्रांच/काडर/2014/61988–982 द्वारा टैंडर जारी किया गय था । मुद्रकों के भुगतान बिलों के सन्दर्भ में निविदा/टैंडर संचिका की जांच के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां ऑडिट अधियाचना संख्याः 422 दिनांक 4.6.15 द्वारा सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड के ध्यान में लाई गई थी ।

1. दर अनुसूचि (schedule of rates) जो खण्ड–5 (section-5) टैंडर डाकूमैंट में सम्मिलित किया गया है उसमें विभिन्न मुद्रण दरों का वर्गीकरण किया गया है । सभी मुद्रक जो अपनी दरें देने में इच्छुक थे, ने अपनी–2 दरें जो खण्ड–5 (schedule–5) में पहले ही बोर्ड द्वारा अंकित कर दी थी की दरों पर प्रतिशत बढ़ौतरी या कमी या बरावरी पर दर्शानी थी । इस प्रकार एक भी मुद्रक ने अपनी fresh दरें नही दर्शाई । इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि बोर्ड द्वारा मुद्रकों को कोई ऐसी हिदायतें दी गई थी कि वे अपनी fresh दरें टैंडर में नहीं भेरेगें परन्तु टैंडर फार्म के खण्ड –5 में पहले ही भरी हुई दरों के उपर प्रतिशत बढ़ौतरी ही भरेगें ।
2. टैंडर आमन्त्रित करने का मुख्य उद्वेश्य प्रतियोगी, उचित एवम् सस्ती/ मितव्ययी दरें प्राप्त करना होता है परन्तु बोर्ड ने निविदादाता को पहले ही अपनी दरें दे गई थी तो टैंडर कॉल करने का क्या औचित्य रह जाता है ।
3. लेखा परीक्षा को यह भी सूचित किया जाए कि टैंडर फार्म के खण्ड– 5 में दर्शाई गई दरों का साधन क्या था अर्थात ये दरें कहां से निर्धारित/प्राप्त की गई है की गणना सहित इन दरों की औचित्य के समर्थन में प्रस्तुत की जाए ।
4. पुस्तक मुद्रण के निम्नलिखित मदों की दरें जो अधिसूचना संख्याः हि0 शि0 बो0 (5) पुस्तक मुद्रण शाखा/2015–/19082–19100 दिनांक 19.1.2015 द्वारा अधिसूचित की गई थी को विभिन्न निविदाता से प्राप्त नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत होता है कि ये दरें बिना

प्रतियोगिता के अधिसूचित कर दी गई थी । अतः इन मदों की दरों को बाजार में सामान्य/न्यूनतम प्रमाणित किया जाए ।

i) आपूर्ति चार्जिज

ii) लेमीनेशन चार्जिज

iii) टैक्सट प्रोसैसिंग चार्जिज

iv) प्लेट मेकींग चार्जिज

तुलनात्मक विवरणी कमेटी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है जिसे अब इसे हस्ताक्षरित करवाया जाए ।

उपरोक्त टिप्पणियों का उत्तर बोर्ड प्रशासन ने पत्र संख्याः हि0शि0बो0(5) पुस्तक मुद्रण शाखा /ऑडिट पैरा/2015–31710 दिनांक 12.06.2015 द्वारा दिया गया जो सन्तोषजनक नहीं पाया गया तथा ऑडिट अधियाचना संख्याः 448 दिनांक 16.7.2015, द्वारा पुनः आगामी निम्नलिखित ऑडिट आपतियां उठाई गई :–

1) पंजाब शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति जो सटिप्पण उत्तर के साथ संलग्न की गई है यह officially प्राप्त नहीं की गई हैं इसलिए पंजाब बोर्ड से इन दरों की प्रति officially व सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए व इनकी गणना सीट जिसमें यह स्पष्ट हो कि दरें कैसे निर्धारित की गई थी ताकि दरों का विश्लेषण व हि0 प्र0 बोर्ड की दरों से तुलना की जा सके कि दरें न्यूनतम व हि0 प्र0 बोर्ड की दरों के समान थी ।

2) कमांक–4 पर दर्शाई गई मदों की दरें जो अधिसूचना संख्या– 19082–19100 दिनांक 19.1.2015 द्वारा अधिसूचित की गई थी की दरें वही हैं जो टैंडर फार्म के खण्ड–5 में वर्णित है । निविदा दाता द्वारा उपरोक्त मदों की दरों में कोई प्रतियोगिता नहीं हुई इसलिए ये दरें बाजार दरों के सामान या न्यूनतम हैं स्पष्ट किये जाने के लिए उपरोक्त अधियाचना द्वारा बोर्ड प्रशासन से अनुरोध किया गया था लेकिन आज दिन तक लेखा परीक्षा को उपरोक्त observations से अवगत नहीं करवाया गया है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि पंजाब, स्कूल शिक्षा बोर्ड से मुद्रण दरों की अनुमोदित प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, अधिकारिक तौर से प्राप्त की जाए जिसमें इन दरों की गणना शीट भी अनुमोदित हो । इसके अतिरिक्त आपूर्ति, लेमिनेषन, टैक्सट प्रोसैसिंग व प्लेट मेकींग चार्जिज जो हि0 प्र0 बोर्ड ने अधिसूचना संख्याः 19082–19100 दिनांक 19.1.2015 द्वारा अधिसूचित की गई है वहीं हैं जो टैंडर फार्म के खण्ड–5 में वर्णित थी जो पंजाब बोर्ड की पद्वति पर अपनाया गया था ।

30. ₹33.06 लाख के अनावश्यक व्यय के उत्तरदायित्व निर्धारण बारेः– आयुक्त एवं सचिवके पत्र संख्याः (शिक्षा) ख–1, दिनांक 30.6.1997 की अनुपालना में स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें निम्न विवरणानुसार कय की गई थी ।

क0 सं0:	नाम पुस्तक व कक्षा	मात्रा	राशि	बिल संख्याः	जिस फर्म से खरीदी गई	विकी उपरान्त शेष बची पुस्तकें	शेष बची पुस्तकों की कीमत/हानि राशि
1.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 10 + 2	80000	1664000	एच0क्यू0003440 दिनांक 31.3.98	नैशनल बुक ट्रस्ट आफ इण्डिया नई दिल्ली	77941	1621172.80
2.	सत्य के प्रयोग एवं आत्मकथा भाग–1 10+ 1	80000	900000	2014–15 दिनांक 11.3.98	सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली	77814	875407.50
3.	सत्य के प्रयोग एवं आत्म कथा भाग–2 10 + 2	80000	900000	–यथोपरि–	–यथोपरि–	71995	809943.75
						योगः–	**3306524.05**

'नेताजी सुभाष चन्द्र बोस' कक्षा 10 जमा दो की पुस्तक को उसी समय वर्ष–1998 तक उसी कक्षा के पाठयकम में सम्मिलित नहीं किया गया था यह मामला बोर्ड प्रशासन के ध्यान में ऑडिट पैरा संख्याः 10 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000–01 के माध्यम से लाया गया था । पैरा अनुसार इस पुस्तक की विकी प्रतिवर्ष बहुत कम हो रही थी तथा इस पुस्तक की 80000 प्रतियां ₹1664000/– में खरीदने से उक्त राशि का खर्चा अनावश्यक प्रतीत हुआ था । किसी भी पुस्तक को मुद्रण/खरीदने से पहले उस पुस्तक को सम्बन्धित कक्षा के पाठयकम में सम्मिलित करना व उस विषय की परीक्षा ली जानी सुनिश्चित करने उपरान्त ही पुस्तक का मुद्रण या कय किया जाना चाहिए था ।

उपरोक्त पैरा के द्वारा सचिव, बोर्ड से अनुरोध किया गया था कि ' नेताजी सुभाष चन्द्र बोस' कक्षा 10 जमा दो की पुस्तक को उस समय पाठयकम में सम्मिलित करने हेतु उचित पग उठाए जाए तथा इस विषय की परीक्षा भी संचालित की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि उक्त पुस्तक की

विक्री हो सके तथा इन पुस्तकों के रख–रखाब पर हो रहे अप व्यय से भी बचा जा सके अन्यथा उपरोक्त व्यय व्यर्थ साबित होगा ।

उपरोक्त ऑडिट के सुझाव उपरान्त भी बोर्ड प्रशासन ने इस विषय पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई तदोपरान्त बोर्ड की 87बीं बैंठक दिनांक 11.8.2006 की मद संख्याः 2 का निर्णय जिसे अधिसूचना क्रमांक हि0शि0बो0(2)सा0/87बीं बैठक पैरा/06–2653–83 दिनांक 8.9.2006 द्वारा अधिसूचित किया गया द्वारा निर्णय लिया गया कि 'बोर्ड ने हि0 प्र0 सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 1997–98 में 11वीं कक्षा की 'महात्मा गान्धी' पर आधारित 'सत्य के प्रयोग एवम् आत्मकथा भाग–1' तथा 12वीं कक्षा की 'सत्य के प्रयोग एवं आत्मकथा भाग–2' व दूसरी पुस्तक 'नेताजी सुभाष चन्द्र बोस' लागू की गई थी । इन पुस्तकों की विगत 10 वर्षों में केवल 2186, 8005 व 2059 पुस्तकें ही बिकी हुई थी । शेष सभी पुस्तकें अभी तक बोर्ड के विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों में पड़ी है जिनका एम0आर0पी0 मूल्य ₹4741247/– है । यह सभी पुस्तकें निर्धारित पाठयक्रम में नहीं है। इसलिए बोर्ड ने मामले पर विचार विमर्श करने उपरान्त यह पाया कि यह सभी पुस्तकें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर आधारित है तथा सदाबहार है इसलिए इन पुस्तकों को रददी में बेचना उचित प्रतीत नहीं होता तथा मामले पर पूर्ण सहमति से निम्नलिखित निर्णय लिये

1) माननीय बोर्ड सदस्य ठाकुर सुरिन्द्र पाल तथा डा0 बीरू राम किशोर विधायक को उपरोक्त मामले को प्रदेश सरकार के साथ उठाने के लिए प्राधिकृत किया ।

2) उक्त पुस्तकों का एक–एक सैट सभी माननीय सदस्यों को इस आश्य से उपलब्ध करवाया गया ताकि सभी सदस्य अपने स्तर पर इन पुस्तकों को उचित ढंग से प्रयोग में लाने तथा इनके निष्पादन के लिए उपाय/सुझाव प्रस्तुत कर सके ।

3) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को विभिन्न स्कूलों में पुरूस्कार वितरण समारोह में प्रतिभावान छात्रों को पुरूस्कार के रूप में पुस्तकें देने तथा सांस्कृतिक समारोह में वितरण के लिए इन लाखों पुस्तकों पर किसी भी प्रकार की छूट देने के लिए प्राधिकृत किया ।

बोर्ड के पत्र क्रमांक हि0शि0बो0(6)विक्रय/2006 दिनांक 29.9.2006 अनुसार उपरोक्त मद के सन्दर्भ में संचिका अनुपालना हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशार्थ प्रस्तुत की गई थी जिसमें अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिए थे कि "Matter will be discussed with the govt. to implement the Board decision as for as price etc. is concerned".

इसके उपरान्त बोर्ड की 99वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि इन पुस्तकों के सदुपयोग के लिए इन्हें स्कूलों/पंचायतों/अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी विभागों की पुस्तकालयों के लिए निशुल्क दी जाए से सम्बन्धित कार्यालय पत्र क्रमांकः हि0 शि0 बो0(6) विक्रय/Evergreen–2012–6199–6201 दिनांक 28.3.2012 निदेशक शिक्षा (उच्चतर), निदेशक शिक्षा (प्रारम्भिक) व निदेशक(पंचायती राज) हि0 प्र0 शिमला से अनुरोध किया गया कि वे अपने अधीनस्थ सभी स्कूलों/ग्राम पंचायतों/कार्यालयों को उपरोक्त सदावहार पुस्तकें पुस्तकालयों में

रखने के लिए बोर्ड के नजदीक पुस्तक विक्रय केन्द्र से निशुल्क उठाने के निर्देश जारी करें तथा पुस्तकें सम्बन्धित स्कूल के मुखिया/ग्रांम पंचायत के प्रधान द्वारा प्राधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएं तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 15.5.2012 द्वारा समस्त जिला प्रबन्धक/प्रभारी पुस्तक विक्रय केन्द्रों को यह भी निर्देश दिए गए कि निशुल्क दी गई पुस्तकों का विवरण स्कूल वाईज–पंचायत ब्लॉक वाईज बोर्ड कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए ।

अतः यह सरासर फिजूल खर्च अनावश्यक व्यय व लापरवाही का गम्भीर मामले को दर्शाता है । किसी भी पुस्तक को मुद्रण /खरीदने से पहले उस पुस्तक को सम्बन्धित कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना व उस विषय की परीक्षा ली जानी सुनिश्चित करने उपरान्त ही पुस्तक का क्रय या मुद्रण किया जाना चाहिए था । जब ये पुस्तकें खरीदी गई थी उसी समय लेखा परीक्षा ने इनका पाठयक्रम निर्धारित करने व परीक्षा लेने का सुझाव वर्ष 2000–01 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा–10 द्वारा दिया गया था परन्तु बोर्ड प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिसके कारण बोर्ड को ₹ 3306524/– खरीद मूल्य या ₹ 4741247/– परचून मूल्य (एमआरपी) की क्षति उठानी पड़ी है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि बिना पाठयक्रम निर्धारित व बिना परीक्षा लेने के उद्वेश्य से गलत निर्णय के अन्तर्गत पुस्तकें क्रय करने से बोर्ड निधि को उपरोक्त राशि का अनावश्यक व्यय करने से व फर्म का फायदा पंहुचाने से जो हानि उठानी पड़ी है उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने की नितान्त आवश्यकता है ।

31. हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण से सम्बन्धित मुख्य अनियमितताएंः–

हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित निम्नलिखित पुस्तक वितरण केन्द्रों का उनके विरूद्व दर्शाई गई अवधि का अंकेक्षण वर्ष 2015–16 के दौरान किया गया। इन पुस्तक वितरण केन्द्रों के अंकेक्षण के दौरान पाई गई मुख्य अनियमितताओं का विवरण अनुवर्ती पैरों में दिया गया है :–

क्रमांक	पुस्तक वितरण केन्द्र का नाम	अंकेक्षण की अवधि
1.	चौंतड़ा	4/2006 से 3/2014
2.	रामपुर	4/2004 से 3/2014
3.	रिकांगपिओ	4/2003 से 3/2015
4.	कुल्लू	4/2006 से 3/2015
5.	मण्डी	4/2006 से 3/2015

6.	राजगढ़	21.4.2008 से 3/2015
7.	पपरोला	4/2006 से 3/2015
8.	हमीरपुर	4/2008 से 3/2015
9.	नगरोटा बगवां	28.3.2007 से 3/2015
10.	ज्वालामुखी	22.7.2008 से 3/2015
11.	सोलन	4/2009 से 3/2015
12.	बिलासपुर	4/2009 से 3/2015

(1) ₹ 1.63 लाख के मुल्य की पुस्तकें स्टॉक में कम पाया जाना :–

पुस्तक वितरण केन्द्रों के स्टॉक रजिस्टरों की जांच करने पर पाया गया कि रू0 162527/– की पुस्तकें स्टॉक रजिस्टरों अनुसार दर्शाई गई मात्रा से कम पाई गई । अतः इस राशि की भरपाई सम्बन्धित वितरण केन्द्र प्रभारी से की जानी सुनिश्चित की जाए ।

क्0सं0	वितरण केन्द्र का नाम	अंकेक्षण अवधि	पैरा संख्याः	राशि
1.	मण्डी	1.4.06 से 31.3.15	7	11187.00
2.	मण्डी	–ययो0––	8	150550.00
3.	पपरोला	––यथो0––	5	620.00
4.	सेलन	1.4.09 से 31.3. 2015	11	170.00
			योगः–	**162527.00**

2) प्रत्यक्ष सत्यापन में कम पाई गई ₹0.54 लाख की पुस्तकों की बसूली न करने बारे :–

निम्नलिखित पुस्तक वितरण केन्द्रों के स्टॉक रजिस्टरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि प्रत्यक्ष सत्यापन कमेटी द्वारा ₹53802/– के मूल्य की पुस्तकें स्टॉक में कम पाई गई परन्तु इन पुस्तकों की कीमत की बसूली सम्बन्धित प्रभारी से कर ली गई है अथवा नहीं से सम्बनिधत

अभिलेख ऑडिट के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए । अतः दर्शाई गई राशियों की अब बसूली सुनिश्चित की जाए ।

क0 सं0	वितरण केन्द्र का नाम	अंकेक्षण अवधि	पैरा सं0	राशि
1.	रामपुर	1.4.04 से 3/2014	6	52237/–
2.	हमीरपुर	1.4.2001 से 3/2015	4	1310.00
3.	कुल्लू	1.4.06 से 3/2015	13	255.00
			योगः–	**53802/–**

3) **पुस्तक विक्रेताओं के पंजीकरण नम्बर से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण दौरान प्रस्तुत न करनाः–**

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि बोर्ड से पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के पंजीकरण नम्बर से सम्बन्धित अभिलेख पुस्तक वितरण केन्द्रों में उपलब्ध नहीं पाया गया । पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को बोर्ड द्वारा पुस्तक वितरण केन्द्र से पंजीकृत पुस्तकं खरीदने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कि जब पुस्तक वितरण केन्द्र के पास पुस्तक विक्रेताओं के पंजीकरण बारे कोई भी अभिलेख है ही नही ंतो पुस्तक वितरण केन्द्र द्वारा किस आधार पर वर्षों से इन्हें 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है । पुस्तक विक्रेताओं द्वारा मात्र पंजीकरण नम्बर लिखवा देने से उन्हें छूट देने की सुविधा प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है । उक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट किए जाए तथा साथ ही बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि इस बारे सम्बन्धित शाखा को उचित निर्देश जारी किए जाए कि वह प्रत्येक वर्ष बोर्ड से पंजीकृत/नवीकृत सभी पुस्तक विक्रेताओं की सूचि पुस्तक वितरण केन्द्रों को उपलब्ध करवाएं ताकि वे केवल उन्हीं पुस्तक विक्रेताओं को 10 प्रतिशत छूट देना सुनिश्चित करें जो बोर्ड से नियमानुसार पंजीकृत व प्रत्येक वर्ष नवीकृत हुए हों ।

क्रमाक	पुस्तक वितरण केन्द्र का नाम	अंकेक्षण की अवधि	पैरा संख्याः
1.	ज्वालामुखी	22.7.2008 से 3/2015	8
2.	पपरोला	4/2006 से	12

		3/2015	
3.	हमीरपुर	4/2008 से 3/2015	14
4.	सोलन	4/2009 से 3/2015	9

4) उत्तरपुस्तिकाओं से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों को अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध न करवाने बारे :–

निम्नलिखित पुस्तक वितरण केन्द्रों द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि का उत्तर पुस्तिकाओं का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके आभाव में प्रिन्टर्ज व अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों से प्राप्त व विभिन्न स्कूलों की परीक्षाओं में उपयोग हेतु जारी की गई उत्तरपुस्तिकाओं से सम्बन्धित लेखों की जांच नहीं की जा सकी ।

अतः उत्तर पुस्तिकाओं के स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जाएं ।

क्र0 संख्याः	नाम पुस्तक वितरण केन्द्र	अंकेक्षण अवधि	पैरा संख्याः	प्राप्त व स्थानान्तरित की गई उत्तर पुस्तिकाओं की मात्रा
1.	पपरोला	4/2006 से 3/2015	4	3000 प्राप्त 39500 स्थानान्त्रित
2.	भोंरज	4/2009 से 3/2016	6	16000 स्थानान्त्रित
3.	मण्डी	4/2006 से 3/2015	5	75930 स्थानान्त्रित

32. **पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों से ₹8.94 लाख कटौतियों (रिर्टेन्चमैंट) बारे**ः– अंकेक्षण अवधि के दौरान पूर्व अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए बिलों की जांच के दौरान अधिक, अनियमित एवम् गलत भुगतान प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप ₹893640/– की कटौतियां की गई हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा बिलों की जांच सही एवम् नियमित तौर पर नहीं की गई थी । अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि आन्तरिक जांच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए ताकि ऐसी अनियमितताओं की पुनःवृति न हो ।

33.. **लघु आपत्ति विवरणिका**ः–

अलग से कोई भी लघु आपत्ति विवरणिका जारी नहीं की गई है ।

34. निष्कर्षः—

लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है । विशेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ वही अनुसार शेषों में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान एवं अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

उप नियंत्रक(ले0प0)
निवासी अंकेक्षण योजना,
हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला ।

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.